

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स .3-2 (1) स्था/एपी.पी.।।./संविदा/अभि./2015/894250 दिनांक 11-8-16


संशोधित आदेश:-

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 8896-99 दिनांक 10.08.2016 द्वारा श्री भविष्य कुमार गोयल, सहायक अभियोजन अधिकारी(संविदाकर्मी) का पदस्थापन न्यायालय ए.सी.जे.(जेडी) जे.एम. नं0 1 के स्थान पर न्यायालय ए.सी.जे.(जेडी)जे.एम.नं0 3 पढा जावे।

(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

✓ प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
5. उप निदेशक अभियोजन, जयपुर द्वितीय।
6. सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर।
7. संबन्धित अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर।
8. संस्थापन राजपत्रित शाखा/ लेखा शाखा /रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर